रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2003/फाल्गुन 1, 1924

No. 78] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2003/PHALGUNA 1, 1924

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 113(अ)/आ.व./ईख.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम ईख (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2003 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में खण्ड 3क के परन्तुक (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) ईख को किसी क्रय केन्द्र पर परिदत्त करने और उसे स्वामी द्वारा रेल से या अपने स्वयं के परिवहन का प्रयोग करते हुए सड़क से कारखाने तक परिवहित करने की दशा में रिबेट, यथास्थिति, ऐसी न्यूनतम कीमत या तय पाई गई कीमत में से दिया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में परिवहन की वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को क्रय केन्द्र से कारखाने तक की वास्तविक दूरी और प्रति किलोमीटर लागू दर को दर्शित करते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करते हुए, नियत की जाएगी और स्वामी तदनुसार रिबेट देगा।"

टिप्पण—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए रूप में रिबेट 2002-2003 के चीनी मौसम के प्रारंभ से अर्थात् अक्तूबर, 2002 से आगे परिदत्त ईख को लागू होगा।

3. उक्त आदेश के खण्ड 4क में, परन्तुक (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) ईख को किसी क्रय केन्द्र पर परिदत्त करने और उसे स्वामी द्वारा रेल से या अपने स्वयं के परिवहन का प्रयोग करते हुए सड़क से कारखाने तक परिवहित करने की दशा में रिबेट, यथास्थिति, ऐसी न्यूनतम कीमत या तय पाई गई कीमत में से दिया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में परिवहन की वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को क्रय केन्द्र से खांडसारी यूनिट तक की वास्तविक दूरी और प्रति किलोमीटर लागू दर को दर्शित करते हुए एक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करते हुए, नियत की जाएगी और स्वामी तदनुसार रिबेट देगा।"

टिप्पण: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए रूप में रिबेट 2002-2003 के चीनी मौसम के प्रारंभ से अर्थात् अक्तूबर 2002 से आगे परिदत्त ईख को लागू होगा।

[फा. सं. 3(5)/2002-एल.पी.]

आर. पी. भागरिया, निदेशक

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र (असाधारण) में सं. सा.का.नि. 1126/आ.व./ईख तारीख 16 जुलाई, 1966 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे :—

1. सा.का.नि. 35/आ.व./ईख तारीख 5-6-1967
2. सा.का.नि. 1591/आ.व./ईख तारीख 17-10-1967
3. सा.का.नि. 945/आ.व./ईख तारीख 18-5-1968
4. सा.का.नि. 1456/आ.व./ईख तारीख 2-8-1968
5. सा.का.नि. 402(अ)/आ.व./ईख तारीख 25-9-1974
6. सा.का.नि. 492(अ)/आ.व./ईख तारीख 12-9-1975
7. सा.का.नि. 542(अ)/आ.व./ईख तारीख 27-10-1975
8. सा.का.नि. 484(अ)/आ.व./ईख तारीख 26-7-1976
9. सा.का.नि. 799(अ)/आ.व./ईख तारीख 13-9-1976
10. सा.का.नि. 913(अ)/आ.व./ईख तारीख 9-12-1976
11. सा.का.नि. 197(अ)/आ.व./ईख तारीख 29-3-1978
12. सा.का.नि. 79(अ)/आ.व./ईख तारीख 24-2-1982
13. सा.का.नि. 695(अ)/आ.व./ईख तारीख 9-9-1983
14. सा.का.नि. 903(अ)/आ.व./ईख तारीख 29-11-2000

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 20th February, 2003

G.S.R. 113(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2003.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 3A, for proviso (i), the following shall be substituted, namely :—

"(i) in the case of sugarcane delivered at any purchasing centre and the same being transported to the factory by the owner by rail or by road using his own transport, a rebate shall be made from the minimum price or the agreed price, as the case may be, which shall be fixed by the Central Government or the State Government having regard to the actual cost of transportation in the area, authorizing the concerned district magistrate to issue a certificate indicating the actual distance from the purchasing centre to the factory and the rate per kilometre applicable, and the owner shall accordingly make the rebate.

Note: The rebate, as fixed by the Central Government or the State Government, shall be applicable to the sugarcane delivered from the commencement of 2002-2003 sugar season i.e. October 2002 onwards."

3. In clause 4A of the said Order, for proviso (i), the following shall be substituted, namely :—

"(i) in the case of sugarcane delivered at any purchasing centre and the same being transported to the khandsari unit by the owner by rail or by road using his own transport, a rebate shall be made from the minimum price or the agreed price, as the case may be, which shall be fixed by the Central Government or the State Government having regard to the actual cost of transportation in the area, authorizing the concerned district magistrate to issue a certificate indicating the actual distance from the purchasing centre to the khandsari unit and the rate per kilometer applicable, and the owner shall accordingly make the rebate.

Note: The rebate, as fixed by the Central Government or the State Government, shall be applicable to the sugarcane delivered from the commencement of 2002-2003 sugar season i.e. October, 2002 onwards."

[F. No. 3(5)/2002-SP]

R. P. BHAGRIA, Director

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number GSR 1126(E)/Ess.Com./Sugarcane dated the 16th July, 1966 and subsequently amended vide :—

1. GSR 35/Ess.Com./Sugarcane dated 5-6-1967
2. GSR 1591/Ess.Com./Sugarcane dated 17-10-1967
3. GSR 945/Ess.Com./Sugarcane dated 18-5-1968
4. GSR 1456/Ess.Com./Sugarcane dated 2-8-1968
5. GSR 402(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 25-9-1974
6. GSR 492(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 12-9-1975
7. GSR 542(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 27-10-1975
8. GSR 484(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 26-7-1976
9. GSR 799(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 13-9-1976
10. GSR 913(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 9-12-1976
11. GSR 197(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 29-3-1978
12. GSR 79(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24-2-1982
13. GSR 695(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 9-9-1983
14. GSR 903(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 29-11-2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.